कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड
काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)।

website-www.sugarcane.uk.gov.in
Email.commissionercanesugar@gmail.com

निविदा सूचना

गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड की ओर से मुख्यालय काशीपुर के परिसर में निम्नलिखित अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यो की मुहरबन्द निविदायें दिनांक 4/12/2025 को दिन के 1:00 बजे अपराह्न तक उपरोक्त कार्यालय में आमंत्रित की जाती है, जिन्हे उसी दिन अपरान्ह 2:00 बजे उपस्थित ठेकेदारों/फर्म के समक्ष, कमेटी द्वारा खोला जायेगा।

क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य की निविदा लागत (ला0रू0)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू0में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा क्रय किये जाने हेतु अर्हता
1	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के कार्यालय परिसर में साज–सज्जा एवं सेनीटरी कार्य।	15.90	1,500.00+ जी0एस0टी0	03 माह	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभागान्तर्गत भवन निर्माण कार्य में 'सी' श्रेणी अथवा इससे उच्चतर श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार
2	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग कार्यालय परिसर में स्थित चाहरदिवारी का उच्चीकरण का कार्य एवं अन्य अनुरक्षण कार्य।	20.79	2,000.00+ जी0एस0टी0	03 माह	
3	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग कार्यालय परिसर में स्थित आवासीय/अनावासीय भवनों में आन्तरिक एवं बाह्य विद्युतीकरण का विस्तृत नवीनीकरण, सुदृढ़ अनुरक्षण कार्य।	24.98	2,000.00+ जी0एस0टी0	03 माह	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभागान्तर्गत विद्युत कार्य में 'ए' श्रेणी पंजीकृत ठेकेदार
4	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग कार्यालय परिसर में स्थित चाहरदिवारी, नाली का मरम्मत एवं टाईप–1, 2 एवं 3 आवास के बाहरी दिवारों पेंट व अनुरक्षण कार्य।	17.97	1,500.00+ जी0एस0टी0	03 माह	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभागान्तर्गत भवन निर्माण कार्य में 'सी' श्रेणी अथवा इससे उच्चतर श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार
5	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग कार्यालय के आवासीय परिसर में स्थित टाईप–1, 2, 3, 4 एवं 4 (स्पेशल) आवास का अनुरक्षण एवं सेनीटरी का अनुरक्षण कार्य।	18.18	1,500.00+ जी0एस0टी0	03 माह	

निविदा दस्तावेज उपरोक्त कार्यालय से दिनांक 19/11/25 से दिनांक 03/12/25 तक कार्य दिवस में क्रय/उपरोक्त विभागीय बेवसाईट से डाउनलोड किये जा सकते है। निविदा प्रपत्र के साथ निविदा मूल्य व 2 प्रतिशत की धनराशि प्रस्तुत करनी होगी। निर्माण कार्य हेतु गठित कमेटी को एक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा। अन्य विवरण/शर्ते, निविदा प्रपत्र, बिल आफ क्वाटिन्टी व अनुबन्ध प्रपत्र में देखीं जा सकती है।

17/11/2025

(चन्द्र सिंह इमलाल)
अपर गन्ना एवं चीनी आयुक्त
उत्तराखण्ड, काशीपुर

कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड काशीपुर

निविदा आमंत्रण प्रपत्र

(निविदादाताओं हेतु निर्देश, शर्ते एवं प्रतिबन्ध)

विज्ञप्ति सं0............................ दिनांक ...., मूल्य रू0– 2,000.00+जी0एस0टी0

उद्घोषणा/कार्य का नाम :	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग कार्यालय परिसर में स्थित चाहरदिवारी का उच्चीकरण का कार्य एवं अन्य अनुरक्षण कार्य।
1. मानक प्रपत्र :	विभागीय website- www.sugarcane.uk.gov.in पर निविदा दाताओं के उपयोगार्थ कार्य से संबंधित सामान्य निविदा, शर्ते निविदा प्रपत्र व मात्राकृत दर सूची शर्तो के साथ भी प्रदर्शित की जा रही है।
2. अनुमानित लागत रू0: (कन्टीनजेन्सी व G.S.T सहित)	21.41 लाख
2 अ. निविदा का प्रकार:	एकल प्रणाली
3. निविदा लागत (G.S.T सहित) रू0 :	20.79 लाख
4. निविदा प्रतिभूति की धनराशि रू0 :	रू0 41,600.00
4 A जमानतः	अनुबन्ध के पूर्व अनुबन्ध लागत का 10 प्रतिशत उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 के अधीन वाणिज्यिक बैकों से निर्गत अदाता के नाम एकाउन्ट पेई डिमाण्ड ड्राफ्ट सावधि जमा रसीद या बैक गांरटी आदि के रूप मे अनिवार्यतः 5 प्रतिशत कार्यपूर्ति गारंटी एवं प्रतिपूर्ति निक्षेप हेतु 5 प्रतिशत को अलग अलग उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें 5 प्रतिशत को Retaintion Money के रूप में प्रयोग किया जायेगा।
5. कार्य पूरा करने का समय :	3 माह
6. क्षतिपूर्ति प्रतिभूति	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 के के अधीन (निर्माण कार्य में विलम्ब के लिये संविदा मूल्य का 0.50 प्रतिशत प्रति सप्ताह परन्तु अधिकतम संविदा मूल्य का 10 प्रतिशत वसूला जायेगा)
7. निविदा की वैधता :	120 दिन
8. ठेकेदार का नाम :	....
(जिसे निविदा फार्म बेचा गया तथा पूरा पता)	....
9. ठेकेदार की वैध पंजीकृत श्रेणी :	....

(स्वसत्यापित पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति सहित)

10. निविदा फार्म के साथ कुल संलग्नको की संख्या :...

निविदा फार्म जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
सील

समान्य नियम व शर्तेः

1. निविदाओं का मुहरबन्द होना आवश्यक है अन्यथा किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
2. निविदा खोलते समय सम्बन्धित ठेकेदार अथवा उसका प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है। निविदादाता की अनुपस्थिति में निविदायें खोलने के बाद किसी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
3. निविदा मोहरबन्द लिफाफे मे संरक्षित कर प्रस्तुत की जाऐगी। निविदादाता द्वारा लिफाफे के ऊपर अपर गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड लिखा होना एवं विज्ञापन संख्या और कार्य का नाम उल्लेखित होना चाहिये।
4. कार्य के किसी भी आईटम की मात्राये घट/बढ़ सकती हैं जिसकी दर के सम्बन्ध में ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। यदि किसी आइटम की यूनिट में मिसप्रिंट अथवा स्पेशिफिकेशन में अन्तर स्पष्ट होता है तो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की शैड्यूल की यूनिट व अद्यतन विस्तृत स्पेशिफिकेशन मान्य होगी।
5. कार्य निर्धारित समय के अन्दर, समय सारणी के अनुसार पूर्ण करना होगा, अन्यथा ठेका रद्द कर तत्समय जमा जमानत की धनराशि (2 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी को सम्मिलित कर) निक्षेपित/जब्त कर ली जायेगी। ठेकेदार द्वारा समय वृद्धि की मॉग में दिये गये तर्को को कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता की सहमति व शासन के तत्समय के नियमो के तहत ही समय वृद्धि दी जायेगी। इस विषय पर अनुबन्ध कर्ता अधिकारी का निर्णय स्वीकार होगा।
6. समस्त कार्य तथा उसका प्रत्येक आइटम विभागीय नियम निर्देश व स्पैशिफिकेशन के आधार पर सम्पन्न करना होगा। कार्य पूर्ण होने के 24 माह बाद तक कार्य में पायी जाने वाली त्रुटि के लिए ठेकेदार पूर्ण रूप से उत्तरादायी होगें। इस अवधि मे **Retaintion Money** विभाग मे जमा रहेगी।
7. कार्य के अनुबन्ध के बीच यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अर्बीट्रेटर के रूप में गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।
8. यदि ठेकेदार के ऊपर विभाग की कोई धनराशि वाजिब रह जाती है तो उसकी वसूली कानूनी तौर पर राजस्व विभाग के माध्यम से की जायेगी।
9. कार्य की अन्तिम माप अंकित किये जाने तक समस्त मैटीरियल की देख–रेख व कार्य की स्टैबिलिटी आदि का पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
10. एक अथवा समस्त निविदाओ को निरस्त करने का अधिकार अपर गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड के पास सुरक्षित रहेगा।
11. तकनीकी निविदा के साथ 100/रू0 मूल्य का नान ज्यूडीशियल नोटरीकृत शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमे निम्न बिन्दुओं का समावेश इस प्रकार आपेक्षित है किः–

(1) पूर्व मे उसकी पंजीकृत/फर्म को सम्पूर्ण राज्य उत्तराखण्ड व अन्य प्रदेश मे किसी भी अधिप्राप्ति कर्ता संस्था द्वारा काली सूची मे नही रखा गया है।

(2) निविदा दाता फर्म/ठेकेदार का निविदा कमेटी के किसी सदस्य से कोई सम्बन्ध नही है, कार्य प्रस्ताव अथवा सम्पादन के लिए नियामक की ओर से नियुक्त पदाधिकारी से कोई सम्बन्ध नही है।

(3) निविदा प्रपत्रों के साथ चाहे गये सभी प्रपत्र वैध रूप में प्रस्तुत किये गये है किसी तथ्य के असत्य, भ्रामक या असंवैधानिक पाये जाने पर निविदा निरस्त करने अथवा निविदा प्रतिभूति जब्त करने का अधिकार अपर गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड काशीपुर मे निहित होगा।

(4) शपथ पत्र मे उद्घाटित तथ्य सत्य और साक्ष्यों के आधार पर सही है।

12. पावर आफ अटार्नी मान्य नही होगी।
13. निर्माण कार्य के दौरान किसी भी दुर्घटना व जानमाल के क्षति के लिये विभाग उत्तरदायी नही होगा।
14. स्वप्रमाणित जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
15. ठेकेदार/फर्म को अध्यावधिक जी0एस0टी0 का नापावना प्रमाण पत्र मूल रूप से लगाना अनिवार्य होगा।
16. सामग्री की मात्राओ के अनुसार सैम्पिल टेस्टिंग राज्य की प्रयोगशालाओ में कराया जायेगा जिसमें आने वाला व्यय ठेकेदार के बिलो से वसूला जायेगा। यदि ठेकेदार जानबूझ कर किसी सामग्री की क्वालिटी में विवाद पैदा करता है तो उसकी जॉच की फीस भी ठेकेदार के बिल से ही वसूली जायेगी।
17. कार्य की प्रगति के दौरान रंनिग भुगतान अनुबन्ध की धनराशि का 10 प्रतिशत से नीचे की धनराशि का नही किया जायेगा। माप पुस्तिका बनने के एक माह के अंदर भुगतान होगा। इस बीच की अवधि में ठेकेदार कार्य बंद नही करेगा।
18. निविदा विभागान्तर्गत पंजीकृत ठेकेदारों को ही बेची जायेगी।
19. ठेकेदार को यह ध्यान अवश्य रखना होगा कि गन्ना एवं चीन आयुक्त उत्तराखण्ड के मुख्यालय व आवासीय कालोनी की सुरक्षा व्यवस्था में आपके द्वारा कार्य कराये जाने के दौरान कोई कमी न होने पाये।

20. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 के अनुसार न्यूनतम निविदा लागत के कार्य को ठेकेदार से जी0पी0डब्लू0 9 की शर्तो पर तैयार किये गये अनुबन्ध पर ठेकेदार को हस्ताक्षर करने होगे। (अनुबन्ध प्रपत्र को कार्यालय मे देखा जा सकता है)
21. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 के अनुसार परफारमेन्स सिक्योरिटी डिपोजिट करनी होगी।
22. बिलो से नियमानुसार जी0एस0टी0, लेबर सेस, आयकर की कटौती की जायेगी। खनिज मेटीरियल में रायल्टी जमा करने का प्रमाण भी विभाग मे उपलब्ध कराना होगा।
23. डाउनलोड निविदा प्रपत्र के मूल्य को निविदा पेटी में निविदा डालने से एक दिन पूर्व की तिथि, के बैंक ड्राफ्ट (संयुक्त गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड काशीपुर के पदनाम का बना हुआ) से अथवा विभाग में नगद जमा उपरान्त रसीद कटवाकर अदा करना होगा।
24. निविदादाता को विगत 03 वर्षो में निविदा लागत के मूल्य अथवा इससे अधिक लागत के कार्यो के संतोषजनक रूप से पूर्ण कराये जाने सम्बन्धी अनुभव प्रमाण पत्र निविदा प्रपत्र के साथ उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
25. निविदा धरोहर निविदा मूल्य का 2 प्रतिशत धन (टी0डी0आर0/एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 अपर गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड के पदनाम का बना हुआ) के बिना कोई भी निविदा स्वीकार नही की जायेगी। मापदण्डों को पूरा करने वाले निविदा दाताओ की निविदा स्वीकार होने के एक सप्ताह के अन्दर सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म को निविदा लागत का 10 (2 प्रतिशत प्रतिभूति सहित) प्रतिशत जमानत/कार्यपूर्ति प्रतिभूति/धरोहर की धनराशि एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 वाणिज्यिक बैंक से निर्गत अदाता के नाम एकाउण्ट पेई डिमाण्ड ड्राफ्ट/सावधि जमा रसीद या बैंक गांरटी के रूप मे अपर गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड काशीपुर के पदनाम से र्निगत हो (जिसमें से 5 प्रतिशत की धनराशि **Defect liability** अवधि तक के लिए वैध हो) प्रस्तुत करनी होगी तभी कार्यादेश दिया जायेगा।
26. निविदा स्वीकार किए जाने के बाद 7 दिन के अन्दर ठेकेदार को कार्यादेश प्राप्त करने हेतु प्रभावी कार्यवाही करनी होगी, अन्यथा 2 प्रतिशत प्रतिभूति की धनराशि जब्त कर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
27. शासनादेश संख्या 223817/2024/08(200)/XXVII(8)/2023 दिनांक 10.07.2024 के अनुसार जी0एस0टी0सम्बन्धी अदेय प्रमाण पत्र (No Due Certificate) निविदा क्रय करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
28. निविदा प्रकाशन के उपरान्त विभाग में पंजीकृत नवीन ठेकेदार उक्त निविदा हेत मान्य नही होंगे।

मै हम.. पुत्र श्री.. निवासी..का हूँ/है। मैने हमने उपरोक्त कार्य से संबंधित निविदा सूचना दिनांक.................................... को पढ़ी तथा कार्यस्थल, की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। कार्यस्थल की समस्त परिस्थितियों, विभागीय नियम व शर्तो की दृष्टिगत रखते हुए मै/हम अपनी निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ/कर रहे है तथा उपरोक्त कार्य को संलग्न बिल आफ क्वान्टिटी की दरों से...(अंकों व शब्दों में) प्रतिशत कम/अधिक पर करने को तैयार हूँ/है।

जमा की गयी अर्नेस्ट मनी का विवरण निम्न प्रकार है–
रूपये..
रसीद सं0...दिनांक...
बैंक ड्राफ्ट /एफ0डी0आर0 स0...

ह0 ठेकेदार

(कार्यालय कार्य के लिये)

आज दि0.............................मे निविदा कमेटी द्वारा निविदा खोली गयी। निविदाये स्वीकृत/अस्वीकृत की गयी।

निविदा स्वीकृत करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

निविदा कमेटी, के प्रस्ताव पर अपर आयुक्त/गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड के प्रस्ताव सं0........................ दिनांक.......................................द्वारा कार्य कराने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी।

ह0 संयोजक

BILL OF QUANTITY

TENDER COST -: 20.79 LAKH

Name Of Work :- गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के कार्यालय परिसर में स्थित चाहरदीवारी का उच्चीकरण का कार्य एवं अन्य अनुरक्षण कार्य।

S.N	Dsr no	Description of items	Qty.	Unit	Rate 2023 in rs	Amount in rs
	A	CIVIL WORK				
1.	15.7.4	**Demolishing brick work** manually/ by mechanical means including stacking of serviceable material and disposal of unserviceable material within 50 metres lead as per direction of Engineer-in-charge. In cement mortar.	23.46	M3	2060.2	**48332.29**
2.	2.8.1	Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator) / manual means in foundation trenches or drains (not exceeding 1.5 m in width or 10 sqm on plan), including dressing of sides and ramming of bottoms, lift up to 1.5 m, including getting out the excavated soil and disposal of surplus excavated soil as directed, within a lead of 50 m. All kinds of soil.	34.00	M3	260.3	**8850.20**
3.	4.1.8	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering - **All work up to plinth level : 1:4:8** (1 Cement : 4 coarse sand (zone-III) : 8 graded stone aggregate 40 mm nominal size	10.90	M3	6812	**74250.80**
4.	4.2.2	Providing and laying cement concrete in retaining walls, return walls, walls (any thickness) including attached pilasters, columns, piers, abutments, pillars, posts, struts, buttresses, string or lacing courses, parapets, coping, bed blocks, anchor blocks, plain window sills, fillets, sunken floor etc., up to floor five level, excluding the cost of centering, shuttering and finishing: [redacted] 1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand (zone-III) : 3 graded stone aggregate 20 mm nominal size).	3.91	M3	10357.55	**40498.02**
5.	5.1.2	Providing and laying in position specified grade of reinforced cement concrete, excluding the cost of centering, shuttering, finishing and reinforcement - All work up to plinth level : 1:1.5:3 (1 cement : 1.5 coarse sand (zone-III): 3 graded stone aggregate 20 mm nominal size)	21.54	M3	9045.75	**194845.46**
6.	5.2.2	Reinforced cement concrete work in walls (any thickness), including attached pilasters, buttresses, plinth and string courses, fillets, **columns**, pillars, piers, abutments, posts and struts etc. above plinth level up to floor five level, excluding cost of centering, shuttering, finishing and reinforcement : 1:1.5:3 (1 cement : 1.5 coarse sand(zone-III) : 3 graded stone aggregate 20 mm nominal size)	4.93	M3	10852.95	**53505.04**

J-E AE E.E.

7.	5.22.6	Steel reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, placing in position and binding all complete up to plinth level Thermo-Mechanically Treated bars of grade Fe-500D or more.	2755.96	kg	107.85	297230.28
8.	5.9.1	Centring and shuttering including strutting, propping etc. and removal of form for : **Foundations**, footings, bases of columns, etc. for mass concrete.	40.80	M2	392.15	15999.72
9.	5.9.5	Centering and **shuttering** including strutting, propping etc. and removal of form for : Lintels, 8.93beams, **plinth beams**, girders, bressummers and cantilevers	78.20	M2	736.4	57586.48
10.	5.9.6	Centering and **shuttering** including strutting, propping etc. and removal of form for :**Columns**, Pillars, Piers, Abutments, Posts and Struts	111.72	M2	961.3	107396.44
11.	6.4.2	Brick work with common burnt clay F.P.S. (non modular) bricks of class designation 7.5 in superstructure above plinth level up to floor V level in all shapes and sizes in : Cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand)	45.86	M3	9105.95	417598.87
12.	13.1.1	12 mm cement plaster of mix : 1:4 (1 cement: 4 fine sand)	753.10	M2	347.05	261363.36
13.	10.1	Structural steel work in single section, fixed with or without connecting plate, including cutting, hoisting, fixing in position and applying a priming coat of approved steel primer all complete.	229.50	kg	117.35	26931.83
14.	16.17.1	Fencing with R.C.C. post placed at required distance, embedded in cement concrete blocks, every 15th post, last but one end post and corner post shall be strutted on both sides and end post one side only, provided with horizontal lines and two diagonals of barbed wire weighing 9.38 kg per 100 metres (minimum), between the two posts fitted and fixed with G.I. staples on wooden plugs or G.I. binding wire tied to 6 mm bar nibs fixed while casting the post (cost of R.C.C. posts, struts, earth work and concrete to be paid for separately) :- Payment to be made per metre cost of total length of barbed wire used. With G.I. barbed wire	1200.00	Mtr.	14	16800.00
15.	11.19.1	chequered terrazzo tiles 22 mm thick with graded marble chips of size up to 6 mm in floors, jointed with neat cement slurry mixed with pigment to match the shade of the tiles, including rubbing and polishing complete, on 20 mm thick bed of cement mortar 1:4 (1 cement :4 coarse sand) : Light shade pigment using white cement	100	M2	1533.8	153380.00
16.	13.91	Removing dry or oil bound distemper, water proofing cement paint and the like by scrapping, sand papering and preparing the surface smooth including necessary repairs to scratches etc. complete.	300.00	M2	25.15	7545.00
17.	13.80	Providing and applying white cement based putty of average thickness 1 mm, of approved brand and manufacturer, over the plastered wall surface to prepare the surface even and smooth complete.	250.00	M2	156.05	39012.50

Rajesh
J.E

AE

E.G.

18.	13.110.1	Finishing walls with textured exterior paint of required shade :Old work (Two or more coats on existing cement paint surface applied @ 3.28 ltr/10 sqm.	1256.69	M2	169.20	**212631.94**
19.	13.81.1	Distempering with 1st quality acrylic distemper (ready made) **having VOC content less than 50 gm per ltr.** of approved manufacturer and of required shade and colour complete. as per manufacturer's specification. One or more coats on old work	64.74	M2	62.70	**4059.20**
20.	9.84	Providing and fixing aluminium extruded section body tubular type universal **hydraulic door closer** (having brand logo with ISi, IS : 3564, embossed on the body, door weight up to 36 kg to 80 kg and door width from 701 mm to 1000 mm), with double speed adjustment with necessary accessories and screws etc. complete.	30	Each	983.15	**29494.50**
21.	13.99.1	Painting with synthetic enamel paint of approved brand and manufacture of required colour to give an even shade : One or more coats on old work.	38.00	M2	102.8	**3906.40**
22.	9.51.2	Providing and fixing fly proof galvanized M.S. wire gauge to windows and clerestory windows using wire gauge with average width of aperture 1.4 mm in both directions with wire of dia 0.63 mm all complete With 25 mm mild steel U beading.	6.12	M2	939.20	**5747.90**
23.	13.104	Polishing on wood work with ready made wax polish of approved brand and manufacture : Old work	19.8	M2	99.80	**1976.04**
		Total A				**2078942.27**

Say 20,79,000

Rajesh
J.E

A.E

E.E.

शर्तें:–

1. अनुबन्ध स्टाम्प डॅयूटी नियमानुसार जमा करनी होगी।
2. आगणित निविदा लागत अंको व शब्दो मे भरी जायेगी। निविदा प्रपत्र में कोई भी मॉगी गयी सूचना खाली नही रखी जाएगी।
3. बढ़ी हुई मात्राओं का स्वीकृत निविदा दर पर भुगतान किया जायेगा।
4. यदि बिल आफ क्वाटिटी से इतर आइटमों पर कार्य ठेकेदारों से कराया जाता है तो वर्तमान शैड्यूल आफ रेट्स पर इनका भुगतान सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति उपरान्त किया जायेगा।
5. निविदा डालने से पूर्व ठेकेदार प्रस्तावित कार्य का ले आउट, ड्राईंग व कार्य स्थल का निरीक्षण भली प्रकार कर लेवे।
6. अन्तिम बिल भुगतान की कार्यवाही गुणवत्ता की संतोषजनक रिपोर्ट के पश्चात की जायेगी।
7. यदि अपरिहार्य कारणों से निविदा प्रपत्र/खोलने के दिवस को राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो अगले कार्य दिवस को कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। यदि किसी निविदा दाता को निविदा बेच दी जाती है तो इसका यह अर्थ नही लगाया जा सकेगा कि वह निविदा देने हेतु पात्र है।
8. कार्य में प्रयुक्त होने वाली समस्त सामग्री की व्यवस्था निविदा दाता को स्वयं करनी होगी तथा स्थल पर सामग्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
9. निविदा प्रपत्र केवल विज्ञापन मे उल्लिखित वांछित श्रेणी मे पंजीकृत ठेकेदारो को ही मूल पंजीकरण प्रमाण दिखाने पर विक्रय किये जायेगें।
10. निविदा मे भरे गये तथ्यों के सम्बन्ध मे प्रमाणित पत्रों की छाया प्रतियॉ लगानी अनिवार्य है।
11. कार्य स्थल पर घटित किसी भी प्राकृतिक तथा मानवीय आपदा के लिए विभाग जिम्मेदार नही होगा, समस्त जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी। कार्य के लिए **Defect liability period** दो वर्ष होगा। उक्त बिल ऑफ क्वान्टिटी की स्पेसिफिकेशन अस्पष्ट होने की दशा मे **C.P.W.D Circle Delhi** की स्पेसिफिकेशन अन्तिम रूप से मान्य होगी।
12. बिल आफ क्वान्टिटी में उल्लेखित आइटम के पूर्ण होने पर ही उस आईटम को अन्तिम बिल में सम्मिलित किया जायेगा।
13. कार्य से संबंधित मजदूरों की कार्य स्थल में कार्य के समय यदि कोई दुर्घटना होती है तो इसके लिये विभाग उत्तरदायी नही होगा।
14. कार्य के दौरान किसी भी प्रकार का विवाद होने पर गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
15. विभाग की बिजली एवं पानी के उपयोग करने पर वाजिब बिल की कटौती बिल से की जायेगी।
16. अधूरे आइटम के आधार पर उस मद में कोई भुगतान नही किया जायेगा।
17. कार्यादेश धन की उपलब्धता एवं कार्य की प्राथमिकता के आधार पर दिया जायेगा।
18. सशर्त निविदा मान्य नही होगी।
19. प्रस्तावित कार्य की स्पेशिफिकेशन अनुसार स्थल पर कार्य, कनिष्ठ अभियन्ता की देख–रेख में किया जायेगा।
20. कार्य निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण न करने पर अथवा गुणवत्ता–युक्त कार्य न पाये जाने की दशा में जी0पी0डब्लू0–9 की शर्तो के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
21. सभी प्रकार के टैक्स की कटौती बिल भुगतान के समय लागू नियमों के अनुसार होगी।
22. कार्य का भुगतान मापन के आधार पर किया जायेगा।
23. यदि किसी स्पेसिफिकेशन में अस्पष्टता प्रतीत होती है तो **C.P.W.D** का **C.P.W.D Standard bidding document.**मान्य होगी।
24. अनुरक्षण का कार्य कार्यालय एवं आवासीय परिसर में निवासित कार्मिकों के आवासों मे होना है इसलिये निविदादाता यह सुनिश्चित कर ले कि अनुरक्षण कार्य के दौरान कार्यालय कार्य में कोई व्यवधान तथा आवासीय कालोनी में निवासित कार्मिकों को कोई असुविधा उत्पन्न हो।
25. शासनादेश संख्या 223817/2024/08(200)/XXVII(8)/2023 दिनांक 10.07.2024 के अनुसार जी0एस0टी0सम्बन्धी अदेय प्रमाण पत्र (**No Due Certificate**) निविदा क्रय करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
26. निविदा प्रकाशन के उपरान्त विभाग में पंजीकृत नवीन ठेकेदार उक्त निविदा हेतु मान्य नही होंगे।

प्रस्तावित कार्य को निर्धारित समय अन्तर्गत पूर्ण कराते हुए विभिन्न वस्तुओं/कार्यो/घटकों का रंगीन फोटो (जो कि अध्यावधिक किये गये कार्य की प्रगति दर्शाता हो) कार्यालय में जमा करने के साथ किये गये कार्य का बिल प्रस्तुत करना होगा।

Rajesh
कनिष्ठ अभियन्ता
मुख्यालय काशीपुर

सहायक अभियन्ता
ऊधमसिंहनगर

अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड

बिल ऑफ क्वान्टिटी में दी गई दरो शर्ते एवं टेण्डर शर्तो को मैने भली भॉति पढ़ लिया है। इन्ही के आधार पर निविदा प्रपत्र मे अपनी निविदा दर भरकर इसे निविदा फार्म के साथ संलग्न कर बन्द लिफाफे के अन्दर रखते हुये निविदा पेटी मे डाल रहा हूँ

हस्ताक्षर ठेकेदार